महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-06/2019/1084/46-3-19-3(22)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-गन्ना आयुक्त/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियॉ,
उ.प्र., लखनऊ।

2-प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

3-प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.
लखनऊ।

4-निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान,
उ.प्र., लखनऊ।

5- निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहांपुर।

6- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि.
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2019

विषय- स्वाशासी संस्थाओं में कार्यरत (गैर राजकीय) कर्मियों पर लागू इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 (ई.पी.एफ./सी.पी.एफ.) के प्राविधानों के अन्तर्गत भविष्य निधि मद में कर्मचारियों से की जाने वाली सांविधिक कटौती की धनराशि को कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित रुप से जमा करने एवं उसके लेखों का समुचित रख-रखाव सम्बन्धित संस्था के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 08/2018/577/46-3-18-3(22)/2018, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विभाग के अधीन क्रमश: उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. एवं प्रदेश में स्थित सहकारी गन्ना समितियों, गन्ना विकास परिषदों, उ.प्र. गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद तथा उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. में कार्यरत कर्मियों (गैर राजकीय), जिन पर इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 (ई.पी.एफ./सी.पी.एफ.) के प्राविधान लागू होते हैं, से की जाने वाली सांविधिक कटौती की धनराशि को कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित रुप से जमा करने एवं उसके लेखों का समुचित रख-रखाव सम्बन्धित संस्था के नियोक्ता/ नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी, शासन में कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में कतिपय संस्थाओं के कर्मियों द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं कि सहकारी चीनी मिलों तथा विभाग के अधीन संचालित अन्य स्वशासी संस्थाओं के द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि के मद में की जाने वाली सांविधिक कटौती की धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित रुप से जमा नहीं की जा रही हैं। इस संबंध में संबंधित संस्थओं के नियोक्ता/नियुक्ति प्राधिकारी स्तर के अधिकारियों के द्वारा यथानिर्देश कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में कर्मचारी मा. न्यायालय की शरण में जाकर मा. न्यायालय से आदेश प्राप्त कर रहे हैं एवं ऐसे प्रकरणों में शासन के समक्ष असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो उपर्युक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुरुप नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि कर्मचारियों पर इम्प्लाइज प्राविडेण्ड फण्ड एक्ट, 1952 के प्राविधानों के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह भविष्य निधि मद में की जाने वाली कटौती के सापेक्ष नियोक्ता का अंशदान संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में प्रतिमाह नियमित रुप से जमा की जाये, किन्तु संज्ञान में आया है कि संबंधित संस्थाओं के नियोक्ता/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि अनुशासनहीनता का परिचायक है। शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था के नियोक्ता/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी की है, इसलिए नियोक्ता/नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन नहीं किये जाने का कोई प्रकरण यदि प्रकाश में आता है, तो संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

4. अत: प्रश्नगत विषय पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्था व निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना संस्था के नियोक्ता/नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से सुनिश्चित कराने तथा सहकारी गन्ना समितियों/परिषदों/सहकारी चीनी मिलों व अन्य संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के वेतन से प्रतिमाह भविष्य निधि मद में की जाने वाली कटौती/अंशदान संबंधित कार्मिक के भविष्य निधि खाते में नियमित रुप से प्रतिमाह जमा न कराये जाने से संबंधित मामलों की संख्या/विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या-06/2019/1084(1)/46-3-19-3(22)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर गन्ना आयुक्त (विकास), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2. सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त,उ.प्र.।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।